

//अंतिम निवाडा //

(पारीत दिनांक 06/04/2017)

(भूसंपादन पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम कायदा 2013)

1) प्रस्तावना तथा प्राप्त भूसंपादन प्रस्ताव :-

प्रस्तुत प्रकरण भूसंपादनाचे कार्यवाहीसाठी उपमुख्य अभियंता, मध्य रेल्वे वर्धा यांचे पत्र दिनांक 26.02.2010 व जिल्हाधिकारी यवतमाळ यांचे पत्र क्रमांक रा3/भूसं2/कावि/1001/2010 दिनांक 22.03.2010 नुसार प्राप्त झाले असून प्रस्तुत प्रस्ताव मौ. कळंब-1 ता कळंब येथील खाजगी शेत जमिनीचे असून संपादीत करावयाची जमिन वर्धा-नांदेड रेल्वे प्रकल्पाचे कामा करीता संपादीत करण्यांत येत आहे. प्रस्तावानुसार संपादीत करावयाचे जमिनीचे क्षेत्रफळ 32.14 हे.आर इतके आहे. सदर प्रस्तावाची पडताळणी करून व नंतर प्राथमिक चौकशी करून, सदर प्रकरणात भूसंपादनाची आवश्यकता आहे याची खात्री करून घेऊन भूसंपादनाची पुढील कार्यवाही करण्यात आली आहे.

2) भूसंपादन अधिनियम 2013 चे कलम 11(1) खालील अधिसूचना :-

भूसंपादन अधिनियम 2013 चे कलम 11(1) खालील अधिसूचना प्रसिध्द करण्याकरीता या कार्यालयाचे पत्र क्र. 452/2016 दिनांक 18.05.2016 नुसार मा. जिल्हाधिकारी.यवतमाळ यांचे कडे मंजूरीस्तव सादर करण्यात आली आहे. त्यास मा. जिल्हाधिकारी (भूसंपादन) यवतमाळ यांनी पत्र क्रमांक रा3/भूसं2/कावि/351/2016 दिनांक 26.05.2016 नुसार मंजूरी प्राप्त झालेली आहे. त्यानुसार भूसंपादन कायदा 2013 चे अधिनियमाच्या कलम 11(1) ची अधिसूचना मौ. कळंब-1 ता कळंब येथील जमिन वर्धा-नांदेड रेल्वे प्रकल्पाचे कामा करीता भूसंपादनासाठी नियमानुसार खालील प्रमाणे प्रसिध्द करण्यात आली आहे.

| | |
|----------------------------|--------------------|
| 1) महाराष्ट्र शासन राजपत्र | दिनांक 22 जून 2016 |
| 2) दैनिक हा माझा देश | दिनांक 4/06/2016 |
| 3) दैनिक यवतमाळ वाणी | दिनांक 4/06/2016 |
| 4) गाव चावडी प्रसिध्दी | दिनांक 5/08/2016 |
| 5) जिल्हा नाझर प्रसिध्दी | दिनांक 2/06/2016 |
| 6) उविअ यवतमाळ | दिनांक 4/06/2016 |
| 7) तहसिलदार यवतमाळ | दिनांक 5/08/2016 |
| 8) सचिव ग्रा.पं.थाळेगांव | दिनांक 8/10/2016 |
| 9) गटविकास अधिकारी | दिनांक 7/06/2016 |

3) भूसंपादन कायदयाचे कलम 12 अन्वये संयुक्त मोजणी अहवाल मागविणे :-

उपरोक्त प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर या कार्यालयाचे पत्र क्रमांक भूसं-प्रजिप/कली/कावि-235/2010 दिनांक 12.04.2010 अन्वये मोजणी करण्याबाबत सुचीत केल्यानुसार तालुका निरीक्षक भूमि अभिलेख, कळंब संपादित संस्थेचा प्रतिनिधी व सर्व संबंधीतांशी पत्र व्यवहार करून संयुक्त मोजणी अहवाल सादर करण्यात आला. प्रकरणात कलम 11,19 व 21 अंतर्गत कार्यवाही झाल्यानंतर प्रकरणातील भुधारकांनी आक्षेप दाखल केलेल्या क्षेत्राबाबत आक्षेपाची पडताळणी करण्यात आली. त्यानुसार संयुक्त मोजणी करून सुधारीत अहवाल

तालुका निरीक्षक भूमि अभिलेख कळंब यांचे पत्र जा क्र. 805/2012 दिनांक 9.07.2012 अन्वये सादर केला. सदर सुधारीत संयुक्त मोजणी अहवाला मध्ये एकुण संपादन करावयाचे क्षेत्र हे 33.13 हे.आर एवढे दर्शविण्यांत आले. आहे.

4) भुसंपादन अधिनियम 2013 चे कलम 15(1)15(2) अंतर्गत कार्यवाही :

भुसंपादन अधिनियम 2013 नूसार उपरोक्त प्रमाणे कलम 11(1) ची अधिसूचना प्रसिध्द झाल्यानंतर अधिनियमाचे कलम 15(1)15(2) नूसार वैयक्तीक सुचना पत्रे संबंधीत जमिन मालकांना बजावण्यांत येऊन संपादन करावयाच्या जमिनी बाबत काही आक्षेप असल्यास ते लेखी स्वरूपात देण्या बाबत सुचीत करण्यांत आले .त्याच प्रमाणे हयाच कलमाअन्वये हयाच विषया बाबत जाहीरनामा काढून त्याची मुनादिने प्रसिध्दी करण्याकरीता सर्व संबंधीतांना दिनांक 8.07.2016 रोजी पाठविण्यात आली आहे.

5) भुसंपादन अधिनियम 2013 चे कलम 15(1)15(2) अंतर्गत चौकशी :-

भुसंपादन अधिनियम 2013 नूसार उपरोक्त प्रमाणे सर्व संबंधीत जमिन मालकांना व हित संबंधीतांना कलम 15(1)15(2) अंतर्गत वैयक्तीक सुचना पत्रे बजावून दिनांक 14.07.2016 रोजी कलम 15(1)15(2) ची चौकशी करीता हजर राहण्याचे सुचीत केले असता दिनांक 14.07.2016 रोजी 25 भुधारक हजर झाले व त्यांनी गट बदलाबाबत आक्षेप या कार्यालयात सादर केले. सदर आक्षेपावर उपअधिक्षक भुमी अभिलेख कळंब यांचा अभिप्राय मागण्यांत आला.

| अ.क | गट नं. | भूधारकाचे नाव | घेतलेला आक्षेप | आक्षेपाबाबत अभिप्राय |
|-----|------------------|---------------------------------|---|---|
| 1 | 437 | श्री.पदीप सुभाष बरडे | संपादित क्षेत्रात 1 पक्की विहिर, मोटरपंप, पाईपलाईन, संत्रा झाडे 800 असल्याने प्रति हेक्टरी 85,00000/- पमाणे मोबदला मिळण्यात यावा. | गट नं.437 चे गाव नमूना7/12 चे अवलोकन केले असता सदर गट नं. मध्ये विहिर पाईपलाईन व संत्राझाडे नसल्याचे दिसून आले. |
| 2 | 436 | सविता अतूल बरडे | बारमाही ओलीताची जमिन असून संपादित क्षेत्रात 200 संत्रा झाडे व पाईपलाईन 500 फूट असल्याने त्यापमाणे मोबदला देण्यात यावा. | गट नं.436 चे गाव नमूना7/12 चे अवलोकन केले असता सदर गट नं. मध्ये विहिर पाईपलाईन व संत्राझाडे नसल्याचे दिसून आले. |
| 3 | 379 | किर्ती दिपक उमरतकर | योग्य मोबदला मिळणेबाबत | नियमानूसार मोबदला अदा करण्यात येईल. |
| .4 | 499 | रविंद बाळकृष्ण दौंदल | | |
| 5 | 412/13A | पल्हाद भानुदास भूसारी | नावात दुरुस्ती असल्याबाबत | 7/12 पमाणे नावात दुरुस्ती करण्यात आली आहे. |
| 6 | | मजहरउन्नीसा इलीयास अहमद सिददीकी | | |
| 7 | | भाष्कर देविदास बरडे | | |
| 8 | 493/1 | निर्मला नामदेव लोहट | | |
| 9 | 438/3 | सुनिता रघूनाथ महाडोळे | | |
| 10 | 438/4 | रघूनाथ मारोतराव महाडोळे | | |
| 11 | 503/1 | महेश नदकिशोर शर्मा | | |
| 12 | 345 | ज्योत्सना रविंद कोठारी | | |
| 13 | | भानूदास सूर्यभान आंकार | | |
| 14 | 390 | रोशन दिपक उमरतकर | | |
| 15 | 412/13A 412/2 | पल्हाद भानूदास भूसारी | | |
| 16 | | भाष्कर मोरेश्वर बरडे | | |

गट नं. 327, 328,329, 439 चे भूधारक यांनी गट बदल असल्याबाबत आक्षेप दाखल केल्यानूसार सदर आक्षेप अर्ज या कार्यालयाचे पत्र क.844/17 दि.14-10-2016 नूसार उप अधिक्षक भूमि अभिलेख कळंब यांचेकडे

गट बदल दुरुस्ती करणेकरिता पाठविण्यात आले असून गट बदलाबाबत त्यांचेस्तरावर कार्यवाही सुरु आहे त्यांचे कार्यालयाकडून गट बदलाची कार्यवाही पूर्ण होऊन अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर सदर गट नं.ची मोबदला वाटपाची कार्यवाही करण्यात येईल.

6) मालकी हक्क :-

संपादित जमिनीच्या मालकी हक्काबाबत तलाठी मौ. कळंब-1 ता कळंब यांचे दफ्तरी असलेले 7/12 गांव नमूना, तपासुन मालकी हक्काबाबत खात्री करण्यात आली. व त्यानंतर निवाडयातील प्रपत्र ई मधील रकाना क्र. 2 मधील जमीन मालकाचा मालकी हक्क रकाना क्र.3 मध्ये दर्शविलेल्या स.न./ग.न. मधील संपादीत क्षेत्रावर असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

7) भुसंपादन अधिनियम 2013 चे कलम 19 ची अधिसुचना प्रसिध्दी :-

भुसंपादन अधिनियम 2013 चे कलम 19 खालील अधिसुचना प्रसिध्द करण्याकरीता मा. जिल्हाधिकारी.यवतमाळ यांचे कडे मंजूरीस्तव दिनांक 16.08.16 रोजी सादर करण्यात आली असता. त्यास मा. जिल्हाधिकारी (भूसं) यवतमाळ यांनी दिनांक 16/08/2016 नुसार मंजूरी प्राप्त झालेली आहे. त्यानुसार भुसंपादन अधिनियम 2013 चे अधिनियमाच्या कलम 19 ची अधिसुचना मौ. कळंब-1 ता कळंब येथील जमिन वर्धा-नांदेड रेल्वे प्रकल्पा करीता भुसंपादनासाठी नियमानुसार खालील प्रमाणे प्रसिध्द करण्यात आली आहे.

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1) महाराष्ट्र शासन राजपत्र | दिनांक 19-25 जाने. 2017 |
| 2) दैनिक निर्भय संचार | दिनांक 10/11/02016 |
| 3) दैनिक उदयाची बात | दिनांक 10/11/2016 |
| 4) गाव चावडी प्रसिध्दी | दिनांक 28/10/2016 |
| 5) जिल्हा नाझर प्रसिध्दी | दिनांक 26/10/16 |
| 6) उविअ यवतमाळ | दिनांक 26/10/16 |
| 7) तहसिलदार यवतमाळ | दिनांक 28/10/2016 |
| 8) सचिव ग्रा.पं.कळंब | दिनांक 28/10/2016 |
| 9) मुख्याधिकारी न.प.कळंब | दिनांक 28/10/2016 |
| 10) गटविकास अधिकारी कळंब | दिनांक 26/10/2016 |

8) भुसंपादनाखालील क्षेत्र : कलम 19 ची अधिसुचना प्रसिध्द केल्यानंतर अंतिमरीत्या संपादीत करावयाच्या जमिनीचा तपशिल खालील प्रमाणे आहे.

| अ. क्र | भुधारकाचे नांव. | स.न/ ग.न. | संपादी त क्षेत्र हे.आ. | प्र.हे. आका र | एकून क्षेत्र | एकुण आका र | भो. वर्ग | आ कार गट | शिघसिध्द गणका नूसार विभाग कमांक |
|--------|---|----------------------------------|------------------------|---------------|--------------|------------|----------|----------|---------------------------------|
| १ | भाष्कर मोरेश्वर बरडे व अशोक मोरेश्वर बरडे | 292 | 0.51 | 1.80 | 11.05 | 20.00 | 1 | 2 | 3.3.1 |
| २ | वेणुबाई यशवंत ओंकार मंगला राजु ओंकार अभिनव राजु ओंकार अनुजा राजु ओंकार संजय यशवंत ओंकार | 293/1 293/2 293/3 293/4 | 0.44 | 1.45 | 12.38 | 18.00 | 1 | 2 | 3.3.1 |
| ३ | दिपक दिगांबर उम्रतकर व रोशन दिपक उम्रतकर | 300 | 0.39 | 1.50 | 5.31 | 8.00 | 1 | 2 | 3.3.1 |
| ४ | दिगांबर दत्तात्रय उमरतकर | 313 | 1.71 | 2.30 | 13.42 | 31.00 | 1 | 2 | 3.3.1 |

| | | | | | | | | | |
|----|---|-----------------------------|------|------|-------|-------|---|---|-------|
| | व इतर-3 | | | | | | | | |
| ५ | रामदास बापुराव काळे | 327 | 0.09 | 0.80 | 1.46 | 4.50 | 1 | 1 | 3.3.1 |
| ६ | श्रावण बाबाराव गवळी व इतर 2 | 328 | 0.98 | 2.87 | 5.57 | 16.00 | 1 | 3 | 3.3.1 |
| ७ | जोत्स्ना रविंद्र कोठारी व इतर | 345 | 0.90 | 2.51 | 12.21 | 30.74 | 1 | 3 | 3.3.1 |
| ८ | दत्तात्रय केशवराव नवाडे | 347 | 0.58 | 1.48 | 3.03 | 4.50 | 1 | 2 | 2.3.1 |
| ९ | अल्काबाई बापुरावजी नेहारे व इतर-4 | 376/1 | 0.75 | 1.92 | 4.84 | 9.30 | 1 | 2 | 2.3.1 |
| १० | वृषाली नरेंद्र बरडे व इतर-2 | 376/2 | 0.07 | 1.90 | 6.15 | 11.70 | 1 | 2 | 2.3.1 |
| 11 | मधुकर बुधा भोयर | 380 | 0.65 | 1.81 | 5.24 | 9.50 | 1 | 2 | 3.3.1 |
| 12 | प्रकाश दिगांबर उमरतकर इतर-2 | 379 | 0.45 | 1.39 | 5.60 | 7.80 | 1 | 2 | 2.3.1 |
| 13 | प्रकाश दिगांबर उमरतकर | 390 | 0.68 | 1.21 | 2.89 | 3.50 | 1 | 1 | 2.3.1 |
| 14 | अ.रफिक अ.बशीर रूपा विलास ढवळे व इतर | 388/1 388/ 2 388/3 | 1.16 | 1.78 | 8.42 | 15.00 | 1 | 2 | 2.3.1 |
| 15 | केशव सोनबाजी तावडे | 412/1 | 0.09 | 1.45 | 1.21 | 1.75 | 1 | 2 | 2.3.1 |
| 16 | पल्हाद भानुदास भुसारी कुंदा भानुदास भुसारी | 412/1 अ | 0.42 | 1.40 | 1.60 | 2.25 | 1 | 2 | 2.3.1 |
| 17 | पल्हाद भानुदास भुसारी कुंदा भानुदास भुसारी | 412/ 2 | 0.94 | 1.14 | 1.78 | 2.00 | 1 | 1 | 2.3.1 |
| 18 | अब्दुल मलिक अब्दुल बशीर | 438/1 438/ 2 | 0.55 | 1.23 | 3.24 | 4.00 | 1 | 1 | 3.3.1 |
| 19 | सुनिता महादेवराव महाडोळे | 438/3 | 1.66 | 1.65 | 1.81 | 3.00 | 1 | 2 | 3.3.1 |
| 20 | रघुनाथ मारोतराव महाडोळे | 438/4 | 1.91 | 1.50 | 2.00 | 3.00 | 1 | 2 | 3.3.1 |
| 21 | प्रदिप सुभाष बरडे | 437 | 2.03 | 2.30 | 4.12 | 9.50 | 1 | 2 | 3.3.1 |
| 22 | अतुल सुभाष बरडे व इतर 3 | 436 | 0.91 | 2.16 | 3.24 | 7.00 | 1 | 2 | 3.3.1 |
| 23 | देवदत्त कृष्णा बरडे | 439 | 1.00 | 1.88 | 2.02 | 3.80 | 1 | 2 | 3.3.1 |
| 24 | रामदास सुर्यभान ओंकार | 453 | 1.70 | 2.70 | 1.70 | 4.60 | 1 | 3 | 3.3.1 |
| 25 | भानुदास सुर्यभान ओंकार | 454 | 1.51 | 2.70 | 1.70 | 4.60 | 1 | 3 | 3.3.1 |
| 26 | वनिता प्रमोदराव मेत्रे व इतर-2 | 455 | 3.35 | 1.95 | 8.70 | 17.00 | 1 | 2 | 3.3.1 |
| 27 | अनवर अ.जहराल दयाल व इतर-1 | 503/1 | 1.09 | 1.43 | 3.56 | 5.10 | 1 | 2 | 3.3.1 |
| 28 | फारुख हु सेन वल्द जिया हु सेन | 503/2 | 0.70 | 1.45 | 1.21 | 1.75 | 1 | 2 | 3.3.1 |
| 29 | कृष्णा महादेव चांदोरे | 504/3 | 0.55 | 1.01 | 1.81 | 3.00 | 1 | 1 | 3.3.1 |

| | | | | | | | | | |
|----|--|--------------------|--------------|------|-------|------|---|---|-------|
| 30 | रामराव महादेव चांदोरे | 504/4 | 1.82 | 1.59 | 2.20 | 3.50 | 1 | 2 | 3.3.1 |
| 31 | चंपत कवडू न्याहारे व इतर-9 | 500/1 500/ 2 | 0.72 | 1.01 | 2.97 | 3.00 | 1 | 1 | 3.3.1 |
| 32 | बाळकृष्ण नारायण दौंदल | 499 | 0.53 | 1.21 | 6.61 | 8.00 | 1 | 1 | 3.3.1 |
| 33 | विजयकुमार राधेशाम अग्रवाल व इतर | 509/1 509/2 | 0.07 | 0.73 | 5.10 | 3.75 | 1 | 1 | 2.3.1 |
| 34 | शंकर परशराम विराळकर | 494 | 0.61 | 1.07 | 1.86 | 2.00 | 1 | 1 | 3.3.1 |
| 35 | चिंतामण महादेव तिवाडे व इतर 3 | 497 | 0.09 | 0.74 | 4.05 | 3.00 | 1 | 1 | 3.3.1 |
| 36 | ई वर्ग | 495 | 0.11 | 0 | 15.47 | 0 | 0 | 0 | 3.3.2 |
| 37 | निर्मला नामदेव लोहर मिलिंद नामदेव लोहर निलेश नामदेव लोहर विठ्ठलराव मनबाजी खंडारे | 493/1 493/2 | 0.29 0.36 | 0.61 | 3.10 | 1.90 | 1 | 1 | 2.3.1 |
| 38 | मोहन नारायण तुंडलवार व इतर-1 | 488 | 0.32 | 0.64 | 2.02 | 1.30 | 1 | 1 | 2.3.1 |
| 39 | मो. फारुख अ.सतार मालाणी इतर-1 | 487 | 0.44 | 0.64 | 2.02 | 1.30 | 1 | 1 | 3.3.1 |
| | | एकूण | 33.13 | | | | | | |

कलम 19 ची अधिसूचना प्रसिध्द केल्यानंतर अंतिमरीत्या संपादीत करावयाच्या जमिनीचा तपशिल-7/12 नूसार खालील प्रमाणे आहे.

| अ. क्र | भुधारकाचे नांव. | स.न/ ग.न. | संपादी त क्षेत्र हे.आ. | प्र.हे. आका र | एकूण क्षेत्र | एकूण आकार | भो. वर्ग | आ कार गट | शिघसि ध्द गणका नूसार विभाग कमांक |
|--------|---|----------------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------|--------------|-------------|----------------|---|
| १ | भाष्कर मोरेश्वर बरडे व अशोक मोरेश्वर बरडे | 292 | 0.51 | 1.80 | 11.0 5 | 20.00 | 1 | 2 | 3.3.1 |
| २ | वेणुबाई यशवंत ओंकार मंगला राजु ओंकार अभिनव राजु ओंकार अनुजा राजु ओंकार संजय यशवंत ओंकार | 293/1 293/2 293/3 293/4 | 0.44 | 1.45 | 12.3 8 | 18.00 | 1 | 2 | 3.3.1 |
| ३ | दिपक दिगांबर उमरतकर व रोशन दिपक उमरतकर | 300 | 0.39 | 1.50 | 5.31 | 8.00 | 1 | 2 | 3.3.1 |
| ४ | दिगांबर दत्तात्रय उमरतकर प्रकाश दिगांबर उमरतकर दिपक दिगांबर उमरतकर मोहन दिगांबर उमरतकर | 313 | 1.71 | 2.30 | 13.4 2 | 31.00 | 1 | 2 | 3.3.1 |
| ५ | रामदास बापुराव काळे | 327 | 0.09 | 0.80 | 1.46 | 4.50 | 1 | 1 | 3.3.1 |

| | | | | | | | | | |
|----|---|-----------------------------|------|------|-----------|-------|---|---|-------|
| | (गट बदल) | | | | | | | | |
| ६ | श्रावण बाबाराव गवळी (गट बदल) | 328 | 0.98 | 2.87 | 5.57 | 16.00 | 1 | 3 | 3.3.1 |
| ७ | प्रविण नथमल कोठारी हर्षद प्रविण कोठारी हेमा प्रविण कोठारी श्रेणी प्रविण कोठारी अपाक वडील प्रविण जोत्स्ना रविंद्र कोठारी कु.श्रजल रविंद्र कोठारी अ.पा.क. वडील रविंद्र रविंद्र नवलमल कोठारी समकित रविंद्र कोठारी अ.पा.क. रविंद्र कोठारी | 345 | 0.90 | 2.51 | 12.2 1 | 30.74 | 1 | 3 | 3.3.1 |
| ८ | दत्तात्रय केशवराव नवाडे | 347 | 0.58 | 1.48 | 3.03 | 4.50 | 1 | 2 | 2.3.1 |
| ९ | अल्काबाई बापुरावजी नेहारे बेबी यादव लसवंते पुरुषोत्तम बापुराव नेहारे श्रावण बापुराव नेहारे रेखा उमेश दुधकोहळे | 376/ 1 | 0.75 | 1.92 | 4.84 | 9.30 | 1 | 2 | 2.3.1 |
| १० | वृषाली नरेंद्र बरडे होषांक नरेंद्र बरडे कुणाल नरेंद्र बरडे | 376/2 | 0.07 | 1.90 | 6.15 | 11.70 | 1 | 2 | 2.3.1 |
| 11 | मधुकर बुधा भोयर | 380 | 0.65 | 1.81 | 5.24 | 9.50 | 1 | 2 | 3.3.1 |
| 12 | किर्तीबाई दिपकराव उमरतकर हेमंत प्रकाश उमरतकर | 379 | 0.45 | 1.39 | 5.60 | 7.80 | 1 | 2 | 2.3.1 |
| 13 | प्रकाश दिगांबर उमरतकर | 390 | 0.68 | 1.21 | 2.89 | 3.50 | 1 | 1 | 2.3.1 |
| 14 | अ.रफिक अ.बशीर महेंद्र शंकर ढवळे वर्षा शंकर ढवळे कमल वि.शंकर ढवळे रूपा विलासराव ढवळे राहू ल विलासराव ढवळे राधिका विलासराव ढवळे अंकुश विलासराव ढवळे | 388/1 388/ 2 388/3 | 1.16 | 1.78 | 8.42 | 15.00 | 1 | 2 | 2.3.1 |
| 15 | केशव सोनबाजी तावडे | 412/1 | 0.09 | 1.45 | 1.21 | 1.75 | 1 | 2 | 2.3.1 |
| 16 | प्रल्हाद भानुदास भुसारी | 412/1 अ | 0.42 | 1.40 | 1.60 | 2.25 | 1 | 2 | 2.3.1 |
| 17 | कुंदा भानुदास भुसारी | 412/ 2 | 0.94 | 1.14 | 1.78 | 2.00 | 1 | 1 | 2.3.1 |
| 18 | अब्दुल मलिक अब्दुल बशीर | 438/1 438/ 2 | 0.55 | 1.23 | 3.24 | 4.00 | 1 | 1 | 3.3.1 |

| | | | | | | | | | |
|----|---|--------------------|------|------|------|-------|---|---|-------|
| | गिरीधर रामभाऊ अढाल | | | | | | | | |
| 19 | सुनिता महादेवराव महाडोळे | 438/3 | 1.66 | 1.65 | 1.81 | 3.00 | 1 | 2 | 3.3.1 |
| 20 | रघुनाथ मारोतराव महाडोळे | 438/4 | 1.91 | 1.50 | 2.00 | 3.00 | 1 | 2 | 3.3.1 |
| 21 | प्रदिप सुभाष बरडे | 437 | 2.03 | 2.30 | 4.12 | 9.50 | 1 | 2 | 3.3.1 |
| 22 | सविता अतुलराव बरडे वैभव अतुलराव बरडे श्रेयश अतुलराव बरडे | 436 | 0.91 | 2.16 | 3.24 | 7.00 | 1 | 2 | 3.3.1 |
| 23 | देवदत्त उर्फ दत्तात्रय कृष्णाजी बरडे | 439 | 1.00 | 1.88 | 2.02 | 3.80 | 1 | 2 | 3.3.1 |
| 24 | रामदास सुर्यभान ओंकार | 453 | 1.70 | 2.70 | 1.70 | 4.60 | 1 | 3 | 3.3.1 |
| 25 | भानुदास सुर्यभान ओंकार | 454 | 1.51 | 2.70 | 1.70 | 4.60 | 1 | 3 | 3.3.1 |
| 26 | वनिता पमोदराव मेत्रे प्रियंका प्रमोद मेत्रे वैशाली प्रमोद मेत्रे | 455 | 3.35 | 1.95 | 8.70 | 17.00 | 1 | 2 | 3.3.1 |
| 27 | महेश नंदकिशोर शर्मा | 503/1 | 1.09 | 1.43 | 3.56 | 5.10 | 1 | 2 | 3.3.1 |
| 28 | फारुख हु सेन् वल्द जिया हु सेन | 503/2 | 0.70 | 1.45 | 1.21 | 1.75 | 1 | 2 | 3.3.1 |
| 29 | कृष्णा महादेव चांदोरे | 504/3 | 0.55 | 1.01 | 1.81 | 3.00 | 1 | 1 | 3.3.1 |
| 30 | रामराव महादेव चांदोरे | 504/4 | 1.82 | 1.59 | 2.20 | 3.50 | 1 | 2 | 3.3.1 |
| 31 | चंपत कवडु नेहारे गणपत कवडु नेहारे पांडुरंग कवडु नेहारे राजु पांडुरंग नेहारे वनिता भारत रोहणे श्रीधर कवडु नेहारे अलोकाबाई बापुरावजी नेहारे बेबी यादव लसवंते पुरुषोत्तम बापुरावजी नेहारे रेखा उमेश दुधकोहळे सयाबाई गुलाबराव गवळी श्रावण बापुराव नेहारे विठाबाई पांडुरंग नेहारे ताई किसन नेहारे गौरव संजय नेहारे मोहन संजय नेहारे | 500/1 500/ 2 | 0.72 | 1.01 | 2.97 | 3.00 | 1 | 1 | 3.3.1 |
| 32 | बाळकृष्ण नारायण दोंदल प्रविण बाळकृष्ण दोंदल रविंद्र बाळकृष्ण दोंदल | 499 | 0.53 | 1.21 | 6.61 | 8.00 | 1 | 1 | 3.3.1 |
| 33 | विजयकुमार राधेशाम | 509/1 | | 0.73 | 5.10 | 3.75 | 1 | 1 | 2.3.1 |

| | | | | | | | | | |
|----|---|----------------|--------------|------|-----------|------|---|---|-------|
| | अग्रवाल द्रोपदाबाई राधेशाम अग्रवाल | 509/2 | 0.07 | | | | | | |
| 34 | शंकर परशराम विरूळकर | 494 | 0.61 | 1.07 | 1.86 | 2.00 | 1 | 1 | 3.3.1 |
| 35 | चिंतामण महादेव तिवाडे संजय महादेव तिवाडे सुखदेव महादेव तिवाडे कलाबाई महादेव तिवाडे | 497 | 0.09 | 0.74 | 4.05 | 3.00 | 1 | 1 | 3.3.1 |
| 36 | ई वर्ग | 495 | 0.11 | 0 | 15.4 7 | 0 | 0 | 0 | 3.3.2 |
| 37 | निर्मला नामदेव लोहर मिलिंद नामदेव लोहर निलेश नामदेव लोहर विठ्ठलराव मनबाजी खंडरे | 493/1 493/2 | 0.29 0.36 | 0.61 | 3.10 | 1.90 | 1 | 1 | 2.3.1 |
| 38 | मोहन नारायण तुंडलवार ज्योती मोहनराव तुंडलवार | 488 | 0.32 | 0.64 | 2.02 | 1.30 | 1 | 1 | 2.3.1 |
| 39 | महंमद फारुख हाजी अब्दुल सत्तार मालाणी | 487 | 0.44 | 0.64 | 2.02 | 1.30 | 1 | 1 | 3.3.1 |
| | | एकूण | 33.13 | | | | | | |

सुधारित संयुक्त मोजणी अहवालानुसार-

उप अधीक्षक भूमि अभिलेख कळंब यांचे पत्र दि.06-04-2017 कार्यालयास प्राप्त दि.07-04-2017 नुसार संयुक्त मोजणी अहवालातील खालील गट नं.मध्ये खालीलप्रमाणे दुरुस्ती अहवाल सादर केला आहे. तसेच एकूण संपादनाचे क्षेत्र 33.13 असून त्यात सुधारित संयुक्त मोजणी अहवालात 0.19 हे.आर. ने कमी करण्यात आले आहे. करिता खालीलप्रमाणे संपादित क्षेत्राची नोंद सुधारित इ विवरणपत्रात घेण्यात आली आहे.

| कलम-19 अधिसूचना पसिध्दी नुसार | | | | सुधारित सं.मो.अहवाल पत्र क.991/2017 दि.06-04-2017 नुसार | | |
|-------------------------------|-------------|-----------------------|------|---|-----------------------|--|
| अ.क. | गट नं | संपादित क्षेत्र हे.आर | अ.क. | गट नं | संपादित क्षेत्र हे.आर | |
| 1 | 412/1 | 0.09 | 1 | 412/1 | 0.04 | |
| 2 | 436 | 0.91 | 2 | 436 | 0.78 | |
| 3 | 509 | 0.07 | 3 | 509 | 0.01 | |
| | एकुण | 1.07 | | एकुण | 0.83 | |

9) सरकारी जमिन ः सदर प्रकरणातील खालीलप्रमाणे क्षेत्र शासकीय जमिनीचे असल्याने विवरणपत्र ई मध्ये घेण्यात आलेले नाही. सदर जमिन हस्तांतरणची कार्यवाही रेल्वे विभागानी त्यांचे स्तरावर करून घ्यावी.

| अ. क्र | भुधारकाचे नांव. | स.न/ ग.न. | संपादित क्षेत्र हे.आ. | प्र.हे. आकार | एकूण क्षेत्र | एकुण आकार | भो. वर्ग | गुप |
|--------|-----------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------|----------|-----|
| 1 | ई वर्ग | 495 | 0.11 | 0 | 15.47 | 0 | 0 | 0 |

10) भुसंपादन कायदा 2013 चे अधिनियमाच्या कलम 19 ची अधिसुचना प्रसिध्दी नंतर कलम 21-अंतर्गत कार्यवाही:-

भुसंपादन अधिनियम 2013 नूसार कलम 19 ची अधिसुचना नियमा नुसार प्रसिध्द झाल्यानंतर कलम 21(1)(2)(3)(4)(5) अंतर्गत जाहीर नोटीस व त्याच्या सोबत कलम 19 चा जाहीरनामा प्रत मुनादिने व पंचनाम्या व्दारे प्रसिध्द करण्यांत आली.

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| प्रसिध्दीचे ठिकाण | दिनांक |
| अ. ग्राम पंचायत नोटीस बोर्ड | दिनांक 28.10.16 |
| ब. तहसील कार्यालयाचे सुचना फलक | दिनांक 28.10.16 |

11) कलम 21(1)(2)(3)(4)(5) चौकशी :-

भुसंपादन अधिनियम -2013 चे कलम 21(1)(2)(3)(4)(5) अंतर्गत संबंधीत व्यक्तींना सुचना पत्रे/नोटीस बजावुन दिनांक 10/02/217 रोजी यवतमाळ येथे स्वतः अथवा अभिकर्त्या मार्फत हजर राहण्याचे सुचित केले असता एकुण 25 भुधारक हजर झाले व 2 भुधारकांनी आक्षेप दाखल केले आहे की सौदेपत्राव्दारे खरेदी केल्यामुळे माझे शिवाय ईतरांना जमीन मोबदला देण्यांत येऊ नये.

| अ.क | गट नं. | भूधारकाचे नाव | घेतलेला आक्षेप | आक्षेपाबाबत अभिप्राय |
|-----|--------|----------------------------------|--|---|
| 1 | 376 | कुणाल नरेंद बरडे | संपादनाचे क्षेत्र कमि दाखविल्याबाबत | उप अधिक्षक भूमि अभिलेख कळंब यांचे अहवालानुसार पूढील कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 2 | 313 | दिगांबर दत्तात्रय उमरतकर व इतर 2 | दिपक दिगांबर उमरतकर यांचे हिस्सयातून जमिन संपादित होत नसल्याने त्यांना मोबदला देण्यात येवू नये. | संयूक्त मोजणी अहवालानुसार मोबदला वाटप करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 3 | 499 | पविण बाळकृष्ण दौंदल | सुमित्रा बाळकृष्ण दौंदल हिचे हिस्सयातून जमिन संपादित होत नसल्याने त्यांना मोबदला देण्यात येवू नये. | संयूक्त मोजणी अहवालानुसार मोबदला वाटप करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. |
| 4 | 503/1 | महेश नंदकिशोर शर्मा | संपादित जागेचा मोबदला रु.180 ते 205 प्र.चौ.फूटापमाणे मिळण्यात यावा. | आवेदकाने दराबाबत कोणत्याही पकारचा पूरावा दाखल केला नसल्याने आवेदकाचा अर्ज फेटाळण्यात येत आहे. |
| 5 | 504/4 | पूंडलीक रामराव चांदोरे | योग्य मोबदला मिळण्याबाबत | भूसंपादन कायदा 2013 मधिल कलम-26 ते 30 अन्वये मोबदला अदा करण्यात येईल |
| 6 | 488 | मोहन नारायण कुंडलवार व इतर 1 | संपादित जागेचा मोबदला रु.500 प.चौ.फूटापमाणे मिळण्यात यावा. | आवेदकाने दराबाबत कोणत्याही पकारचा पूरावा दाखल केला नसल्याने आवेदकाचा अर्ज फेटाळण्यात येत आहे. |
| 7 | 504/3 | कृष्णा महादेव चांदोरे | योग्य मोबदला मिळण्याबाबत | भूसंपादन कायदा 2013 मधिल कलम-26 ते 30 अन्वये मोबदला अदा करण्यात येईल |
| 8 | 313 | मोहन दिगांबर उमरतकर | विहिर व कुपनलिकेचा योग्य मोबदला मिळण्याबाबत | भूसंपादन कायदा 2013 मधिल कलम-26 ते 30 अन्वये मोबदला अदा करण्यात येईल |
| 9 | 313 | पकाश दिगांबर | मोठ्या बांधीवर डोटा पूल | सदर बाब संपादन संस्थेशी संबधित |

| | | | | |
|----|-----|------------------|--|--|
| | | उमरतकर | बाधणेबाबत | असल्याने अर्ज पूढील कार्यवाहीस्तव संपादन संस्थेकडे पाठविण्यात आला आहे. |
| 10 | 439 | अमोल श्रीधर बरडे | सं.मो मध्ये रेल्वे लाईन गट नं.439 मधून दाखविण्यात आली आहे. परंतू पत्यक्षात गट नं.440 मधून रेल्वे लाईन जात असल्याने पूढील कार्यवाही माझे नावाने करण्यात यावी. | सदर आक्षेप अर्ज उप अधीक्षक भूमि अभिलेख कळंब यांचेकडे पाठविण्यात आला आहे. त्यांचेकडून अहवाल पाप्त झाल्यानंतर मोबदला वाटपाची कार्यवाही करण्यात येईल. |

12) जमिनीचे मुल्यांकन भुसंपादन अधिनियम 2013 चे कलम 26 नुसार प्रकरणातील भुसंपादन करावयाच्या जमिनीचे मुल्यांकन खालील प्रमाणे करण्यात आले.

अ) जमिनीची शेतसा-यानुसार वर्गवारी :- भुसंपादन अधिनियम 2013 चे कलम 11 अन्वये सदर भुसंपादन प्रकरणात अधिसुचना दिनांक 22/06/2016 रोजी राजपत्रात आणि दिनांक 5/08/2016 रोजी गांव चावडीवर प्रसिध्दी करण्यांत आली आहे. प्रकरणातील जमिनीचे मुल्यांकन करण्याकरीता सर्वप्रथम संपादीत करावयाच्या शेत जमिनीची शेतसा-यानुसार वर्गवारी करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार प्रकरणातील शेत जमिनीची वर्गवारी खालीलप्रमाणे आहे.

| ग्रुप नंबर | शेतसारा दर रु.प्र.हे. | संपादीत करावयाचे गट क्रमांक. अन्वये |
|------------|-----------------------|---|
| 1 | 0.00 ते 1.25 | 327,390,438/2,504/3,500/1,499,509/1,509/2,494,497,493/1,493/2,488,487. |
| 2 | 1.26 ते 2.50 | 292,293,300,313,347,376/1,376/2,380,379,388/1,412/1,412/1अ,412/2,438/3,438/4,437,436,439,455,503/1,503/2,504/4. |
| 3 | 2.51 ते 5.00 | 328,345,453,454. |

ब) खरेदी विक्री व्यवहार नुसार मुल्यांकन :- प्रकरणात कलम-11 ची अधिसुचना गांव चावडीवर दिनांक 5/08/2016 रोजी प्रसिध्द झाल्याने दि. 5/8/2016 पुर्वीचे 3 वर्षातील खरेदीविक्री व्यवहारांची माहिती (इंडेक्स-||) दुय्यक निबंधक,कळंब यांचेकडून प्राप्त करून घेण्यात आली आहे.

प्रकरणात प्राप्त इंडेक्स-|| चे वर्गीकरण शेतसा-यानुसार करण्यांत आले आहे. त्यानुसार प्रकरणातील संपादीत करावयाच्या जमीनीकरीता लागू होणारे आकार गट क्रमांक 1,2 व 3 चे व्यवहार विचारात घेणे आवश्यक असल्याने सदर आकार गटातील व्यवहार खालीलप्रमाणे आहेत. शेतजमिनीचे मुल्यांकन काढतांना प्राप्त व्यवहारापैकी जास्त किंमतीचे 50% व्यवहार मुल्यांकनासाठी विचारात घेण्यांत आले आहेत.

ब-1) आकार गट क्रमांक 1:-

| अ. क्र. | गट क्र. | एकु ण क्षेत्र | एकुण आका र | खरेदी क्षेत्र हेआर | खरेदी दिनांक | खरेदीची किंमत | खरेदीची प्र.हे. किंमत. | दर हेक्टरी आकार | आकार गट | शिघसिध्द गणका नुसार विभाग कमांक |
|---|---------|---------------|------------|--------------------|--------------|---------------|------------------------|-----------------|---------|---------------------------------|
| आकार ग्रुप 1 चे मुल्यांकना करीता विचारात न घेतलेले कलम-11चे पसिध्दीच्या 3 वर्षापूर्वीचे व्यवहार | | | | | | | | | | |
| 1 | 416 | 1.21 | 1.20 | 1.21 | 30.06.14 | 210000 | 173553 | 0.99 | 1 | 2.3.1 |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------|------|------|------|----------|---------|---------|------|---|-------|
| 2 | 361/1 | 3.86 | 4.50 | 3.86 | 23.05.13 | 1410000 | 365284 | 1.16 | 1 | 3.3.2 |
| 3 | 371 | 3.73 | 4.00 | 1.36 | 29.05.13 | 600000 | 441176 | 1.07 | 1 | 3.3.2 |
| 4 | 372/3 | 1.24 | 1.40 | 1.24 | 20.06.13 | 600000 | 483870 | 1.13 | 1 | 3.3.2 |
| राज्य मार्गावरिल सग्मूख जग्मिनीचे व्यवहार असल्याने विचारात न घेतलेले व्यवहार | | | | | | | | | | |
| 1 | 107 | 2.51 | 1.31 | 2.16 | 27.08.15 | 1575000 | 729166 | 0.60 | 1 | 1.3 |
| 2 | 73/1 | 1.28 | 1.20 | 1.28 | 22.11.13 | 2100000 | 1640625 | 0.93 | 1 | 1.3 |
| 4 | 125 | 0.32 | 0.25 | 0.32 | 10.02.15 | 400000 | 1250000 | 0.78 | 1 | 1.3 |
| 5 | 116/1 | 2.02 | 1.55 | 2.02 | 24.08.15 | 2220000 | 1099000 | 0.76 | 1 | 3.3.1 |
| गुप क्र.1 चे मुल्यांकना करीता एकच व्यवहार शिल्लक राहात असल्याने विचारात घेण्यात न आलेला व्यवहार | | | | | | | | | | |
| 3 | 290/1 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 7.08.14 | 1950000 | 975000 | 1.25 | 1 | 3.3.1 |

ब-2) आकार गट क्रमांक 2:-

| अ. क्र. | गट क्र. | एकुण क्षेत्र | एकुण आकार | खरेदी क्षेत्र हेआर | खरेदी दिनांक | खरेदीची किंमत | खरेदीची प्र.हे. किंमत. | दर हेक्टरी आकार | आकार गट | शिघसिध्द गणका नूसार विभाग कमांक |
|--|---------|--------------|-----------|--------------------|--------------|---------------|------------------------|-----------------|---------|---------------------------------|
| आकार गुप 2 चे मुल्यांकना करीता विचारात न घेतलेले कलम-11 चे प्रसिध्दीच्या 3 वर्षापूर्वीचे व्यवहार | | | | | | | | | | |
| 1 | 273 | 2.78 | 6.00 | 1.39 | 8.05.13 | 800000 | 575539 | 2.15 | 2 | 3.3.2 |
| 2 | 503/2 | 1.21 | 1.75 | 1.21 | 22.01.13 | 575000 | 475206 | 1.44 | 2 | 3.3.2 |
| 4 | 421 | 3.55 | 4.65 | 1.93 | 29.01.13 | 900000 | 466321 | 1.30 | 2 | 3.3.2 |
| 6 | 413 | 2.48 | 3.25 | 1.67 | 5.02.13 | 800000 | 479041 | 1.31 | 2 | 3.3.2 |
| 5 | 273 | 2.78 | 6.00 | 1.39 | 8.05.13 | 800000 | 575539 | 2.15 | 2 | 3.3.2 |
| गुप 2 करीता राज्य मार्गावरिल सग्मूख जग्मिनीचे व्यवहार असल्याने विचारात न घेतलेले व्यवहार | | | | | | | | | | |
| 3 | 309 | 2.50 | 4.50 | 1.53 | 14.08.13 | 700000 | 457516 | 1.80 | 2 | 3.3.2 |
| 1 | 280 | 1.23 | 2.80 | 1.03 | 22.11.13 | 4410000 | 4281553 | 2.27 | 2 | 3.3.2 |
| 3 | 86 | 2.32 | 5.30 | 1.21 | 30.12.13 | 1149500 | 950000 | 2.28 | 2 | 1.3 |
| 7 | 503/2 | 1.21 | 1.75 | 1.21 | 23.08.13 | 750000 | 619834 | 1.44 | 2 | 3.3.1 |
| 5 | 81/2 | 2.43 | 5.50 | 2.43 | 30.12.13 | 1155000 | 475308 | 2.26 | 2 | 2.3.1 |
| आकार गुप 2 चे मुल्यांकना करीता विचारात घ्यावयाचे महत्तम 50% व्यवहार | | | | | | | | | | शिघसिध्द गणकानूसार विभाग क. |
| 2 | 289 | 1.90 | 3.00 | 1.90 | 6.08.14 | 1853000 | 975263 | 1.57 | 2 | 3.3.1 |
| 4 | 503/13A | 1.21 | 1.73 | 1.21 | 12.04.13 | 863000 | 713223 | 1.42 | 2 | 3.3.1 |
| 6 | 297/4 | 1.21 | 2.10 | 1.21 | 24.02.14 | 790000 | 652892 | 1.73 | 2 | 3.3.1 |
| एकूण | | | | | | | 2341378/-- | | | |
| सरासरी हेक्टरी दर रु. | | | | | | | 780460/- (780500/-) | | | |

. उपरोक्त तक्त्यांत दर्शविल्याप्रमाणे मूल्यांकनाकरिता विचारात घेण्यात आलेले गट नं.289,503/1अ व 297/4 ह्या जमिनीचे खरेदीविक्री व्यवहार हे सन 2016-17 चे वार्षिक मूल्यदर तक्त्यानुसार प्रभावक्षेत्रात येत असून विभाग क्र.3.3.1 मध्ये येते. त्यानुसार सदर व्यवहाराची सरासरी काढण्यांत आली असता सदर जमिनीकरीता रुपये 7,80,460/- प्रति हेक्टर आर म्हणजे रु.7,80,500/- प्रति. हे.आर हा दर येतो.

ब-3) आकार गट क्रमांक 3:-

| अ. क्र. | गट क्र. | एकुण क्षेत्र | एकुण आकार | खरेदी क्षेत्र हेआर | खरेदी दिनांक | खरेदीची किंमत | खरेदीची प्र.हे. किंमत. | प्र. हे. आकार | आकार गट | शिघसिध्द गणका नूसार विभाग क्रमांक |
|--|---------|--------------|-----------|--------------------|--------------|---------------|------------------------|---------------|---------|-----------------------------------|
| आकार ग्रुप 3 चे मूल्यांकना उपलब्ध व्यवहारापैकी विचारात न घेतलेले व्यवहार | | | | | | | | | | |
| 1 | 215 | 0.91 | 3.75 | 0.77 | 25.03.13 | 2000000 | 2597402 | 4.12 | 3 | 1.1 |
| 2 | 89 | 1.30 | 4.00 | 1.30 | 26.11.15 | 3000000 | 2307692 | 3.07 | 3 | 1.3 |
| 3 | 236 | 1.21 | 3.20 | 1.21 | 29.04.14 | 1200000 | 991735 | 2.64 | 3 | 2.3.1 |
| 4 | 176/1 | 0.54 | 2.25 | 0.54 | 3.06.14 | 702000 | 1300000 | 4.16 | 3 | |
| 5 | 175 | 0.20 | 0.75 | 0.20 | 3.06.14 | 250000 | 1250000 | 3.75 | 3 | |
| 6 | 217/2 | 1.42 | 3.77 | 1.42 | 25.03.13 | 2900000 | 2042253 | 2.65 | 3 | 1.1 व 1.2 |

संपादनाखालील आकारगट क्र.1 व 3 च्या जमिनीकरिता आकारमान गट क्र.2 च्या सरासरी दरामध्ये प्रतवारीकरिता 10 टक्के घट व वाढ दिल्यास, संपादनाखालील आकारगट क्र.1 व 3 च्या जमिनीचा अनूक्रमे दर रु.7,10,000/- प्र.हे.आर व रु.8,58,500/- प्र.हे.आर असा येतो.

| अ.क्र. | आकार गट क.1 करिता प हे.आर दर रु. | आकार गट क.2 करिता प हे.आर दर रु. | आकार गट क.3 करिता प हे.आर दर रु. |
|--------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 7,10,000/- | 7,80,500/- | 8,58,500/- |

क) शिघसिध्द गणकानुसार - भुसंपादन अधिनियम 2013 नूसार कलम 11 ची अधिसुचना राजपत्रात दिनांक 16 ते 22 जून 2016 रोजी प्रसिध्द झाल्याने या दिनांकास 1/01/2016 ते 31.12.2016 चे शिघसिध्द गणक विचारात घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सह मुद्रांक, जिल्हाधिकारी यवतमाळ यांचे कडून मौजा कळंब-1 ता कळंब जिल्हा यवतमाळ येथील सन 2016-2017 चे शिघसिध्द गणक प्राप्त करून घेण्यात आले आहे. सन 2016-2017 चे शिघसिध्द गणकानुसार मौ. कळंब ता कळंब येथील संपादित गट क्रमांक हे खालीलप्रमाणे मौजा क्र./विभाग मध्ये येत असून सर्व संपादित करावयाचे गट क्रमांककरिता खालीलप्रमाणे प्र.हे.आर दर दर्शविण्यात आला आहे.

| मौजा क./विभाग क. | गट नं. | प.हेक्टरी दर |
|------------------|--|--------------|
| 3.3.1 | 292,293/1,2,3,4, 300,313,327,380,438/2,3,4, 437, 436,439,455,503/1,2,504/3,4,500/1,499,494,497,487, 328,345,453,454, | 8,50,000/- |
| 2.3.1 | 347,476/1,2,379,390,388/1,412/1अ,2,509/1,2,493/1,2,488 | 8,75,500/- |

ड) या गावाचे किंवा परीसरातील पुर्वी जाहीर झालेल्या निवाड्याची माहिती :

भूसंपादन अधिनियम 2013 नूसार संपादीत जमिनीच्या 10 कि.मी. परीसरातील नविन भूसंपादन कायद्यानुसार कोणतेही निवाडे झाल्याचे निदर्शनास आले नाही.

ई) बागायती/हंगामी ओलीताखालील जमिनीचे मूल्यांकन :-

संपादित क्षेत्रातील गट क्र. मध्ये विहिरी आहेत मात्र शेतजमिनीच्या गाव नमूना-7/12 उतारा चे रकाना 7 व 10 ची पडताळणी केली असता सदर शेतजमिनीत कोणत्याही प्रकारची ओलीत केल्याचे मूल्यांकनाच्या तारखेच्या तिन वर्षापूर्वीच्या नोंदीवरून आढळले नाही. त्यामूळे सदर शेत जमिनीस ओलीताचे दर देण्याचा प्रश्न उदभवत नाही. सबब संपादित जमिनी करिता जिरायत दराने मूल्यांकन करण्यात आले आहे.

फ) अंतिम मूल्यांकन : परीच्छेद 11 चे (अ)(ब) (क) (ड) मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या संपादीत करावयाच्या जमिनीच्या प्रति हे.आर जिरायत दरांचा शिघ्रसिध्द गणकानूसार तसेच खरेदी विक्री व्यवहार नूसार_तक्ता खालील प्रमाणे आहे.

| शिघ्रसिध्द गणकानूसार | | |
|-------------------------|---|-----------------------|
| मौजा क./ विभाग क. | गट नं. | प.हेक्टर आर दर रु. |
| 3.3.1 | 292,293/1,2,3,4, 300,313,327, 380,438/2,3,4, 437, 436,439,455,503/1,2,504/3,4, 500/1,499,494,497,487, 328,345,453,454, | 8,50,000/- |
| 2.3.1 | 347,476/1,2,379,390,388/1,412/1अ,2,509/1,2,493/1,2,488 | 8,75,500/- |

| आकारगट गुप क्र. | खरेदीविक्री व्यवहार नुसार रु.प्र.हे.आर दर |
|--------------------|--|
| 1 | 7,10,000/- |
| 2 | 7,80,500/- |
| 3 | 8,58,500/- |

13) भूसंपादन कायदा हक्क (महाराष्ट्र) नियम 2014 चे नियम 18 नुसार ः

सदर पकरणात मौजा कळंब ता.कळंब येथील जमिनी हया प्रभावक्षेत्रात येत असल्याने खरेदीविक्री व्यवहार तसेच शिघ्रसिध्दगणक यामधील दरापैकी येणारा महत्तम दर नविन भूसंपादन कायदयातील कलम-26 मधिल तरतूदीनुसार खालीलप्रमाणे निश्चित करण्यास्तव पस्तावित करण्यात आला. तसेच सहा.संचालक, नगर रचना यवतमाळ यांनी पस्तावित केल्यानुसार मा.जिल्हाधिकारी यांनी त्यांचे पत्र क्र. राजस्व-3/भु.सं.-1/कावि-237/2017 दि. 27/03/2017 अन्वये गट निहाय दरास मंजूरी पदान केली आहे. त्यानुसार सदर दर अंतिम निवाड्यात समाविष्ट करण्यात आला आहे.

| गट नं. | प.हेक्टरी दर |
|---|--------------|
| 292,293/1,2,3,4, 300,313,327,380,438/2,3,4, 437, 436,439,455,503/1,2,504/3,4,500/1,499,494,497,487 | 8,50,000/- |
| 347,476/1,2,379,390,388/1,412/1अ,2,509/1,2,493/1,2,488 | 8,75,500/- |

13-अ)पोटखराब क्षेत्राचे मूल्यांकन : संयुक्त मोजणी अहवालानुसार संपादित क्षेत्रात पोटखराब जमिन नाही.

14) गुणक:-

भुसंपादन अधिनियम 2013 च्या पहिल्या अनुसुचिमध्ये निर्दिष्ट केल्यानुसार व सदर कायद्याचे कलम 26(2) नुसार मौजा कळंब ता.कळंब हे गाव अनुसुची मधील अ.क्र. 3 मधील नगर पंचायत क्षेत्रात समाविष्ट असल्याने कलम 26(1) नुसार उपरोक्त परिच्छेदांमध्ये नमुद जमिनीच्या येणा-या मूल्यांकनास 1.00 हा गुणक वापरण्यात येत असून त्यानुसार मूल्यांकनासाठी परिगणना 'ई' विवरण तक्त्यात केली आहे.

15) भुसंपादन अधिनियम 2013 नुसार कलम 27, 29(1) (2) (3) नुसार जमिनीशी किंवा ईमारतीशी संलग्न असलेल्या गोष्टीचे मूल्यांकन :-

अ) फळझाडाचे मूल्यांकन : संयुक्त मोजणी अहवालानुसार संपादन क्षेत्रात फळझाडे नाहीत.

ब) वन झाडाचे मूल्यांकन : संयुक्त मोजणी अहवालानुसार संपादन क्षेत्रात वनझाडे नाहीत.

क) विहिरीचे/बोअरवेलचे/बांधकामाचे मूल्यांकन :

प्रस्तूत प्रकरणातील संयुक्त मोजणी अहवालामध्ये नमुद असलेल्या संपादित गटातील संपादित क्षेत्रात येत असलेल्या विहिरीचे मूल्यांकन अहवाल या कार्यालयाच पत्र क.1060 दि.22-12-2016 नुसार कार्यकारी अभियंता जि.पं.सिंचन विभाग यवतमाळ यांचेकडून मागविण्यात आले आहे. सदरचे मूल्यांकन कार्यकारी अभियंता जि.पं.सिंचन विभाग यवतमाळ यांचे पत्र क. 124/17 दि.19/01/2017 नुसार खालीलप्रमाणे प्राप्त झाले आहे. प्राप्त मूल्यांकन उचित समजून अंतिम निवाड्यात समाविष्ट करण्यात येत आहे. सदरचे मूल्यांकाबाबत भविष्यात कोणतीही अनियमितता आढळून आल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी मूल्यांकन करणा-या सक्षम त्या अधिका-याची राहिल. मूल्यांकनाचा गोषवारा खालीलप्रमाणे

| अ.क | गट नं. | भूधारकाचे नाव | बांधकामाचा पकार | संख्या | विहिरीची किंमत |
|-----|--------|-------------------------------|-----------------|--------|----------------|
| 1 | 313 | श्री.दिगांबर दत्तात्रय उमरतकर | विहिर | 1 | 80,459/- |

प्रस्तूत प्रकरणातील संयुक्त मोजणी अहवालामध्ये नमुद असलेल्या संपादित गटातील संपादित क्षेत्रात येत असलेल्या कुपनलिका/ विधनविहिरीचे मूल्यांकन अहवाल या कार्यालयाच पत्र क.92/2017 दि.20-01-2017 नुसार वरिष्ठ भूवैज्ञानिक भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणा यवतमाळ यांचेकडून मागविण्यात आले आहे. सदरचे मूल्यांकन वरिष्ठ भूवैज्ञानिक भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणा यवतमाळ यांचे पत्र क. 225/17 दि.14/03/2017 नुसार खालीलप्रमाणे प्राप्त झाले आहे. प्राप्त मूल्यांकन उचित समजून अंतिम निवाड्यात समाविष्ट करण्यात येत आहे. सदरचे मूल्यांकाबाबत भविष्यात कोणतीही अनियमितता आढळून आल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी मूल्यांकन करणा-या सक्षम त्या अधिका-याची राहिल. मूल्यांकनाचा गोषवारा खालीलप्रमाणे

| अ.क | गट नं. | भूधारकाचे नाव | बांधकामाचा पकार | संख्या | किंमत |
|-----|--------|-------------------------------|----------------------|--------|----------|
| 1 | 313 | श्री.दिगांबर दत्तात्रय उमरतकर | कुपनलिका/ विधनविहिरी | 1 | 43,445/- |

16) ताबा : संपादनाखालील जमिनीचा ताबा संपादन संस्थेने खाजगी वाटाघाटीने घेतलेला नाही.

17) मालक व कुळ यांचे तौल संविभाजन :- अंतिम मोबदला देतेवेळी वाद नसल्यास संविभाजन करण्यात येईल व वाद असल्यास न्याय निवाड्याकरीता प्रकरण दिवाणी न्यायालयाकडे वर्ग करण्यात येईल.

18) दिलासा रक्कम : भुसंपादन कायदा 2013 मधील अधिनियम कलम 30(1) मधील तरतुदी नुसार संपादीत जमिनीच्या मुल्यांकनावर 100% दिलासा रक्कम आकारण्यात आली असून ती सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र ई मध्ये घेण्यात आली आहे.

19) अतिरीक्त घटकाची रक्कम :

भुसंपादन कायदा 2013 मधील अधिनियम कलम 30(3) मधील तरतुदी नुसार 12 टक्के अतिरीक्त घटकाची रक्कम 11(1) ची अधिसूचना ते ताबा दिनांक किंवा निवाडा दिनांकापावेतो या पैकी जी आधी असेल त्या तारखापावेतो देय करावे असे स्पष्ट नमुद असल्याने सदर प्रकरणात कलम 11(1) ची अधिसूचना दिनांक 05/08/2016 ला प्रसिध्द करण्यात आली असल्यामुळे दरसाल दर शेकडा 12% रु प्रमाणे अतिरीक्त घटकाची रक्कम अंतिम निवाड्याचे दिनांकापर्यंत म्हणजे दिनांक 05/08/2016 ते 27/03/2017 पर्यंत एकूण 234 दिवसासाठी आकारण्यात आली असून ती सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र ई मध्ये दर्शविण्यात आली आहे.

20) शासकिय व निमशासकिय रकमेची वसुली :- सदर प्रकरणामध्ये संपादीत होत असलेल्या जमिन मालकाकडे काही शासकिय व निमशासकिय वसुली येणे बाकी असेल अशा कर्ज वाटणाऱ्या संस्थांना मोबदला वाटपाचेवेळी आवश्यक कागदपत्रासहीत हजर राहण्याबाबत कळविण्यात येईल व त्याप्रमाणे भुगतान जमिन मालकास करण्याचे सांगण्यात येईल.

21) संयुक्त मोजणी अहवालाचे तपासणी करून मोबदला वाटपाकरिता प्रमाणपत्र सादर करणेबाबत :

सदर पकरणात संयुक्त मोजणी अहवालाप्रमाणे मोबदला वाटपाकरिता गट नं. व संपादित क्षेत्रात बदल होत नसल्याबाबत उपमुख्य अभियंता, मध्य रेल्वे वर्धा यांना पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करणेबाबत या कार्यालयाचे पत्र क.435/2017 दि.30-03-2017 नुसार कळविण्यात आले असता संयुक्त मोजणी अहवालाप्रमाणे संबंधित शेतक-यांना मोबदला वाटप करण्यास हरकत नसल्याबाबत प्रमाणपत्र सादर केले आहे.

22) भुमिधारी (वर्ग 2) मालकाच्या संपादीत जमिनीबाबत :- संपादनातील सर्व गट क्रमांक मधील जमिन ही भोगवटा वर्ग 1 असल्यामुळे 10 टक्के कपात करण्यात आली नाही.

23) आगाऊ मोबदला वसुली :- सदर भुसंपादन प्रकरणात भुधारकांना अदा करण्यात आलेला नाही

24) मुल्यांकनाचा तपशिल :- भुसंपादन अधिनियम 2013 चे कलम 26 ते 30 अन्वये उपरोक्त परिच्छेदात नमुद केल्यानुसार येणा-या एकुण भुसंपादन मुल्यांकनाचा तपशिल खालील प्रमाणे आहे.

| अ.क्र | मोबदला तपशील | मोबदला रुपये |
|-------|--|--------------|
| 1. | प्रति हे. दरानुसार जमिनीची किंमत कलम 26(1)नुसार | 28058015/- |
| 2. | 1.00 नुसार जमिनीची किंमत कलम 26(1)नुसार | 28058015/- |
| 3. | फळझाडाची किंमत | 0 |
| 4. | कुपनलिकेची किंमत | 43445/- |
| 5. | विहीरीची किंमत | 80459/- |
| 6. | एकून रुपये | 28181919/- |
| 7. | एकून रक्कमेवर 100% दिलासा रक्कम (कलम 30(1) नुसार) | 28181919/- |
| 8. | कलम 30(3)नुसार एकून रकमेवर 12% अतिरीक्त घटकाची रक्कम एकून 234 दिवसासाठी. दि.05/08/2016 ते 27/03/2017 | 2158545/- |
| 9. | एकून रुपये | 58522383/- |
| 10. | भोगवटा-2 चे 10 टक्के कपात | 0 |
| 11. | वाटप करावयाचा मोबदला रुपये | 58522383/- |
| 12. | 3 टक्के आस्थापना सेवाशुल्क | 1755672/- |
| 13. | 3 टक्के सोई सुविधा खर्च | 1755672/- |
| 14. | एकुण निवाडा रुपये | 62033726/- |

अक्षरी रूपये सहा कोटी विस लाख तेहतीस हजार सातशे सत्तिस केवळ)

स्वा/-
(विजय स. भाकरे)
उपजिल्हाधिकारी, (भुसंपादन)
रस्ते प्रकल्प यवतमाळ

अंतिम निवाडा

भुसंपादन प्रकरण क्रमांक 19/47/2009-10 मौजा कळंब खंड-1 ता.कळंब जि.यवतमाळ

मी विजय सहदेवराव भाकरे, उपजिल्हाधिकारी (भुसंपादन), रस्ते प्रकल्प, यवतमाळ भुसंपादन अधिनियम 2013 चे कलम 26 ते 30 खाली दि. 27/03/2017 रोजी निवाडा पारीत करीत आहे.

- 1) सदर प्रकरणात भुसंपादन पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 2013 चे कलम 26 ते 30 अन्वये मुल्यांकन निर्धारित करून खालील तक्त्यात नमुद केल्यानुसार प्रति हेक्टर **वाजवी मुल्यांकन** निर्धारित केले आहे.

| अ.क. | संपादित गट नं. | खरेदी विक्री /शिधिसिध्द गणक/व्यवहारा नुसार ई-विवरणपत्रात मूल्यांकनाकरिता घेण्यात आलेला प्र हे.आर दर | अंतिम निवाडयानुसार सर्व घटक धरून भूधारकांना देय होणारा प्र.हे.आर दर | पटीत वाढ8 |
|------|--|---|---|-----------|
| 1 | 292,293/1,2,3,4, 300,313,327,380,438/2,3,4, 437, 436,439,455,503/1,2,504/3,4,500/ 1,499,494,497,487 | 850000/- | 1765392/- | 2.08 |
| 2 | 347,476/1,2,379,390,388/1,412/1 अ,2,509/1,2,493/1,2,488 | 875500/- | 1817315/- | 2.08 |
| 3 | 328,345,453,454, | 858500/- | 1783046/- | 2.08 |

- 2) संपादित जमिनीचे खरे व नक्की असे क्षेत्र 33.02 हे.आर. आहे.
- 3) निवाडयाची एकुण निश्चित केलेली रक्कम रु.58522383/- यावर 3% आस्थापना सेवा शुल्क 1755672/- सोई सुविधा शुल्क खर्च 3 % 1755672/- असे एकुण रूपये 62033726/- (अक्षरी रूपये सहा कोटी विस लाख तेहतीस हजार सातशे सव्विस केवळ)
- 4) सर्व प्रकारची कपात वजा जाता निवाडयाची निव्वळ रक्कम जी जमिन मालकांना ई तक्त्यात दर्शविल्यानुसार या निवाडयामध्ये वाटप करणे आहे. रु.58522383/- (अक्षरी रूपये पाच कोटी पंच्यांशी लक्ष बाविस हजार तिनशे त्रयांशी केवळ)
- 5) हा निवाडा जाहिर करण्यापुर्वी भुसंपादन अधिनियम 2013 अन्वये मा.जिल्हाधिकारी यवतमाळ यांची सदर प्रारूप निवाडयास यांचे पत्र क.राजस्व-3/भु.सं.-1/कावि/237/20017 दि.24/03/2017 अन्वये मंजूरी प्राप्त झाली आहे.
- 6) असे सुचीत करण्यात येते की, निवाडयात नजर चुकीने अंकगणितीय टंकलेखनाच्या चुका झाल्यास त्या हा निवाडा जाहिर झाल्यापासुन सहा महिण्याचे आत माझे निदर्शनास आणुन दयावी.
- 7) भुसंपादन अधिनियम 2013 चे कलम 26 ते 30 प्रमाणे संपादीत जमिन उपमुख्य अभियंता (निर्माण), मध्य रेल्वे, वर्धा यांचे स्वाधीन राहिल.

स्वा/-

दिनांक: 06/04/2017

(विजय स.भाकरे)
उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन)
रस्ते प्रकल्प,यवतमाळ